

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

..... नर्बदा बाई .....

बनाम

..... ओम प्रकाश वगैरहा .....

किस्म मुकदमा : 53, 88, 188 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या ..... 92 / 16.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
09-05-2018	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 'न्याय आपके द्वार, 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आज पेश हुई। वादीगण द्वारा अपना वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली, ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 1.19 हैक्टर में अंकित हिस्से के पक्षकारान का सहखातेदार है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि उक्त भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली जब 5-6 वर्ष का था, तब से ही घर से लापता हो गया था, जो अविवाहित था, जिनके कोई सन्तान आदि नहीं थी। अब चूंकि अन्य सहखातेदार किशनलाल पुत्र धन्ना, जाति की मृत्यु हो चुकी है, तो अब किशनलाल के वारिसान चाहते हैं कि सहखातेदार भागचन्द के लापता हो जाने के आधार पर प्रकरण की सम्पूर्ण विवादित आराजी में से भागचन्द के हिस्से की आराजी भी किशनलाल पुत्र धन्ना के वारिसान के ही खाते दर्ज कर दी जावे। प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये जवाब दावा में वादपत्र के सभी कथन स्वीकार कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन किया इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकारान, विवादित आराजी के अन्य सहखातेदार भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली का हिस्सा भी स्वयं के नाम करवाकर अपना अपना हिस्सा पृथक करवाना चाहते हैं। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्व अभिलेख की प्रतियां पेश की हैं परन्तु सहखातेदार भागचन्द पुत्र धन्ना के लापता होने सम्बन्धी कोई ठोस प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा भागचन्द पुत्र धन्ना के लापता होने पर किसी भी अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई विवरण आदि पेश नहीं किया गया है। केवल थानाधिकारी, मण्डाना को वाद पेश करने के कुछ माह पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई गई, वो भी डाक द्वारा।</p> <p>राजस्व लोक अदालत में प्रकरण की वास्तविकता के तथ्यों की जानकारी हेतु वर्तमान सरपंच तथा शिविर में उपस्थित ग्रामवासियान से भागचन्द पुत्र धन्नालाल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसमें एक ग्रामवासी द्वारा यह तक भी बताया गया कि कुछ समय पूर्व भी भागचन्द के वारिसान गांव आये थे। तदुपरान्त, सम्बन्धित पटवारी हल्का से भागचन्द पुत्र धन्ना, जाति कोली के बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। इसके अन्तर्गत हल्का पटवारी द्वारा अवगत कराया कि "ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि भागचन्द वर्तमान में मौजूद नहीं है। उसकी अजमेर में मृत्यु हो चुकी है तथा उसका परिवार वर्तमान में अजमेर में ही निवास करता है। भागचन्द लगभग 60-70 वर्ष पूर्व अजमेर चला गया था तथा कभी कभी ही किसी रिश्तेदार वगैरहा की मृत्यु होने पर ही ग्राम रांवठा में आता जाता था। उसके</p>	

आदेश की दिनांक	आदेश या कार्यवाही का विवरण	क्रमांक/दिनांक जो आदेश की पालना में जारी हुये
	<p>हमने हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट एवं ग्रामवासियान के कथनों पर मनन किया। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के समस्त पक्षकारान द्वारा विवादित आराजी में भागचन्द पुत्र धन्ना के हिस्से को हडपने के उद्देश्य मात्र से आपसी मिलीभगत करके यह वाद पेश किया, जो प्रतिवादी द्वारा वादीगण के समर्थन में दिये गये जवाब दावा से स्वतः ही सिद्ध हो रहा है। उनके द्वारा सहखातेदार भागचन्द को 65-70 वर्ष पूर्व लापता होना अंकित किया है। इस प्रकार उनके द्वारा इस तथ्य के विरुद्ध भी कोई ठोस प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किये गये कि उनके द्वारा भागचन्द के लापता होने की सूचना क्यों नहीं दी। प्रकरण के पक्षकारान द्वारा झूठे, अपूर्ण और मनगढन्त तथ्य पेश करके न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास किया, जो कि न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। इससे न्यायालय के समय व श्रम का अनावश्यक व्यय हुआ है। अतः ग्राम हरिपुरा की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 1.19 में अंकित हिस्से के पक्षकारान के सहखातेदार भागचन्द के लापता होने सम्बन्धी असत्य कथनों व तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद वादी तत्काल प्रभाव से खारिज किये जाने आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">- 9/5/18</p>	

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 : अटल सेवा केन्द्र, भवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी- श्री दुर्गाशंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :-

1	श्रीमती नर्बदा बाई पत्नी स्व. श्री किशनलाल, आयु 76 वर्ष
2	मोहनी देवी पुत्री स्व. श्री किशनलाल, आयु 52 वर्ष
3	पुष्पा देवी पुत्री स्व. श्री किशनलाल, आयु 48 वर्ष, जाति कोली
	निवासीगण ग्राम रावंठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
	(वादी)
बनाम	
1	ओम प्रकाश पुत्र स्व. किशनलाल, आयु 47 वर्ष, जाति कोली, निवासी ग्राम रावंठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2	श्रीमती सुन्दर बाई पुत्री स्व. पन्ना पत्नी स्व. सुखलाल, जाति कोली, निवासी ग्राम रावंठा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी नूरीबाई का चौक, कोलियों का मोहल्ला, चमन होटल की पीछे, नयापुरा, कोटा
6	राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
	(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53, 88, 188 RTA

मुकदमा नम्बर : 92/16

निर्णय दिनांक : 09-05-2018

न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र, भवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में आज तारीख 09-05-2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाशंकर मीना (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), एवं अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत, कोटा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन तथा शिविर में प्रकरण के तथ्यों की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा ग्राम हरिपुरा की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 1.19 में अंकित हिस्से के पक्षकारान के सहखातेदार भागचन्द के लापता होने सम्बन्धी असत्य कथनों व तथ्यों पर आधारित होने के कारण वाद वादी तत्काल प्रभाव से खारिज किये जाने आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 09 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



- 9/5/18  
(दुर्गाशंकर मीना) R.A.S.

अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत एवं  
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,  
कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2.	अर्जी के लिये स्टाम्प
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प	3.	प्लीडर के लिये फीस
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस	4.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	5.	आदेशिका की तामिल
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	6.	कमिश्नर की फीस
जोड		जोड	